

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 257/2026

Savitri Devi W/o Hanuman Prasad

----Appellant

Versus

National Highways Authority Of India

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Prince Choudhary, Adv. for Mr. Sultan Singh Kuri, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

25/02/2026

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को आक्षेप संख्या 2 से 7 को दूर करने के लिए तीन **सप्ताह** का समय दिया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि में कार्यालय द्वारा निकाली गयी त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता है तो यह अपील इस न्यायालय को संदर्भित किये बिना स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

(UMA SHANKER VYAS),J